

# भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-172/2019-20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद दिवसीय तारीख साथ
06.07.2022	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के पत्रांक-606, दिनांक-12.12.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर ने अपने जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि बिक्रेता जयदेव महतो, पिता-स्व० राम प्रसाद महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम+पो०-बड़पोस, थाना-मनोहरपुर, जिला-प० सिंहभूम ने मौजा-बड़पोस, थाना नं०-79, थाना-मनोहरपुर, खाता नं०-180, खेसरा नं०-873, रकवा-0.37.000 ए० कृषि भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत क्रेता त्रिशीला महतो, पति-स्व० भगत दर्शन महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम+पो०-बड़पोस, थाना-मनोहरपुर, जिला-प० सिंहभूम को बिक्री करना चाहते हैं।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली भूमि आवेदक जयदेव महतो, पिता-स्व० राम प्रसाद महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम+पो०-बड़पोस, थाना-मनोहरपुर, जिला-प० सिंहभूम के दखल-कब्जे में है तथा अपने हक की भूमि को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। नोटिस तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के प्रतिवेदानुसार बिक्रेता एवं क्रेता, थाना-मनोहरपुर, जिला-प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग) समुदाय के सदस्य हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता के पास कुल रकवा-3.60.000 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर साथ ही आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बिक्रेता को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त भूमि क्रेता को 61,200/- (एक साठ हजार दो सौ) रुपये में अथवा राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शुल्क अदा कर बेचने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p>	

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।